केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली III

बनाम

एम / एस कैरियर एयरकॉन लिमिटेड और अन्य

(एम.एम. कुमार, न्यायाधीश)

एमएम कुमार और अजय कुमार मित्तल के सामने

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली III — ***याचिकाकर्ता***

बनाम

एम / एस कैरियर एयरकॉन लिमिटेड और अन्य , — ***उत्तरदाताओं***

सी डब्लू पी नम्बर 2007 का 5200.

31 जुलाई, 2007

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद226 — केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 — धारा 32 — विभाग ने आँकलन करने वाले को नोटिस जारी किया केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जुर्माना और ब्याज की मांग के लिए— निपटान आयोग एक धारा32 के तहत एक आवेदन पर जो आँकलन करने वाले को ब्याज के भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करता है— क्या निपटान आयोग के पास अधिकार क्षेत्र है जांच के चरण में आँकलन करने वाले द्वारा स्वेच्छा दिए हुए ब्याज को वापिस करने का आदेश देने का — आयोजित किया गया कि, हाँ— प्रावधान के धारा32-k के तहत एक आँकलन करने वाले को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निपटान आयोग सशक्त है, पूरे या किसी भी दंड, जुर्माना और ब्याजको लागू करने से, — अधिनियम के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं - आदेश जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है वे किसी भी पूर्वाग्रह, धोखाधड़ी या द्वेष से ग्रस्त नहीं है— याचिका खारिज कर दी गई।

आयोजित किया गया कि, निपटान आयोग के पास निपटान के किसी मामले के सम्बंध में पर्याप्त शक्तियाँ है आँकलन करने वाले व्यक्ति को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए और अधिनियम के तहत किसी भी दंड, जुर्माना और ब्याज को लागू से बचाने के लिए। यह इस प्रकार है कि आँकलन करने वाले-प्रतिवादी नंबर 1 को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला आदेश पूरी तरह से है अधिनियम की धारा 32-ई के तहत है और निपटान आयोग के पास शक्ति हैं ब्याज के भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करने की।

(उपधारा 8)

आगे आयोजित, इसमें कोई संदेह नहीं की निपटान आयोग के इस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है लेकिन जांच की परिकल्पना इस तक सीमित रहेगी कि क्या आदेश अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत है या पूर्वाग्रह, धोखाधड़ी या द्वेष से ग्रस्त है। वर्तमान मामले में, अधिनियम के किसी भी प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं है। निपटान आयोग के पास पूरी तरह से ब्याज के भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति है बस अधिनियम के धारा 32-जे के तहत दी गयी प्रतिरक्षा को चोढ़ कर। इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के किसी भी पूर्वाग्रह या उल्लंघन के संबंध मे कोई मुद्दा नहीं है

(उपधारा 9 और 11)

गुरप्रीत सिंह, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता* के लिए।

आर. कृष्ण, मनीष जैन के साथ अधिवक्ता, अधिवक्ता, *प्रतिवादी नम्बर 1 के लिए।*

म. म. कुमार, न्यायाधीश।

(1) यह याचिका अभियोग प्रार्थना के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है 8 फरवरी, 2005 के आदेश के आंशिक रूप से रद्द करने के लिए (अनुलग्नक P-3) कस्टम और सेंट्रल एक्साइज सेटलमेंट कमीशन-प्रतिवादी द्वारा पारित नंबर 2 (संक्षिप्तता के लिए 'निपटान आयोग') आँकलन करने वाले -उत्तरदाता नंबर 1 को रुपये 7,16,775 के ब्याज के भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए। आगे प्रार्थना की गई है 22 जून, 2005 दिनांक (अनुलग्नक पी -5) के आदेश को जो विविध आवेदन जो की 8 फरवरी, 2005 के आदेश का सुधार की माँग करते है को खारिज कर रहा है।

(2) संक्षिप्त तथ्यों पर पहले ध्यान दिया जा सकता है। आँकलन करने वाले -प्रतिवादी नं. 1 एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर और भागों के निर्माण में लगा हुआ है जिसके कारण वह केंद्रीय आबकारी शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षिप्तता '1985 अधिनियम' के लिए)की पहली अनुसूची की टैरिफ़ हेडिंग 84(84.15) की के तहत आता है और वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत भी है। यह मोडवत/सेंवत क्रेडिट का लाभ उठा रहा है/ विभिन्न आदानों पर और कारखाने से साफ किए गए अंतिम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। 11 फरवरी, 2003 को, महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने आँकलन करने वाले-प्रतिवादी नंबर 1 के कारखाने परिसर का दौरा किया और पाया कि रुपये 27,26,092 सेंवत क्रेडिट का आँकलन करने वाले प्रतिवादी नंबर 1 ने लाभ उठाया था उन आदनो पर जो वास्तव में 31 दिसंबर, 2001 को निकल दिए गए थे। इसका मतलब, अपने दम पर आँकलन करने वाले-प्रतिवादी नंबर अपनी ख़ुद की मर्ज़ी से पूर्वोक्त सेनवेट क्रेडिट को उलटा कर दिया - पी एल आ एंट्री नंबर 11 द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2003 को। इसने जांच के चरण में रु 7,16,775 के ब्याज का भुगतान किया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली III
बनाम
एम / एस कैरियर एयरकॉन लिमिटेड और अन्य
(एम.एम. कुमार, न्यायाधीश)

(3) आँकलन करने वाले -प्रतिवादी नंबर 1 को एक शो कारण नोटिस जारी किया गया था 20 जनवरी, 2004 को रुपए 27,26,092 केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करते हुए 31 दिसंबर, 2002 को आदनो पर सेनवेट क्रेडिट में प्राप्त हुए। अधिनियम की धारा 11 एसी के तहत जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया था और साथ में केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2001 के नियम 25 (2001 की संक्षिप्तता के लिए) नियम ')। शो-कारण नोटिस ने भी सेनवेट क्रेडिट नियम, 2001 के नियम 12 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 11AB के तहत ब्याज की मांग को बढ़ा दिया (संक्षिप्तता के लिए 'सेनवत नियम')। शो-कारण नोटिस ने भी मांग बढ़ा दी अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत ब्याज की व्यवस्था के नियम 12 के साथ पढ़ा गया नियम, शो-कारण नोटिस के अनुसार आँकलन करने वाले -प्रतिवादी नंबर 1 को यह दिखाना था कि क्यों उपरोक्त राशि को विनियोजित नहीं किया गया है सेनवेट क्रेडिट / ब्याज के लिए।

(4) आँकलन करने वाले-प्रतिवादी नंबर 1 ने निपटान आयोग-उत्तरदाता 2 के समक्ष के एक आवेदन दायर किया अधिनियम के धारा 32 के तहत। आवेदन को 8 फरवरी को अंतिम आदेश द्वारा निपटाया गया था, 2005 (अनुलग्नक पी -3)। अंतिम आदेश के अनुसार, निपटान आयोग ने पाया कि आँकलन करने वाले-प्रतिवादी ने पहले ही एक राशि रुपये 34,42,867 का भुगतान किया था मांग शुल्क के खिलाफ जो की रुपए 27,26,092 थी ब्याज के विनियोग से संबंधित मांग के संबंध में। निपटान आयोग ने 24 जनवरी, 2005 को अतिरिक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली द्वारा भेजे गए पत्र पर ध्यान दिया जिस में यह

कहा गया था कि अनजाने में त्रुटि हुई थी और रुपये 7,16 775 के ब्याज को लागू करने वाले आदेश के पैरा 2 को हटा दिया गया। निपटान आयोग ने यह भी पाया था कि आँकलन करने वाले-प्रतिवादी ने उनके सही और पूर्ण ड्यूटी देयता का प्रकटीकरण करके पूर्ण सहयोग किया था, भुगतान की गई राशि से ड्यूटी की पूरी राशि को समायोजित करने को स्वीकार किया और सहमत थे शो-कारण नोटिस जारी करने से पहले । तदनुसार, पूरा मामला अधिनियम की धारा 32-एफ के संदर्भ में तय किया गया था। नीचे दिए गए रूप में देख: -

"*केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कर्तव्य.*--- रुपये 27,26,092 की पूरी राशि को मुख्य आवेदक द्वारा जमा की गई राशि से पहले से ही समायोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है उनकी डूटी की मांग के खिलाफ प्रवेश आदेश संख्या के तहत ए-270/ सी ई एस / 2004 एस सी (पी .बी .) दिनांक 27 अक्टूबर, 2004, मामला इस राशि पर तय किया गया है और आगे कोई आवेदक द्वारा शुल्क देयता नहीं है

ब्याज --- मामले के विचार के बाद और आवेदकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के हवाला दिए हुए निर्णय को देखते हुए, आवेदकों को भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।

जुर्माना ---- आयोग सभी आवेदकों को जुर्माना और जुर्माना का भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
अभियोजन -- आवेदकों को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है वर्तमान में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत

वापसी — रुपये 7,16,775 की शेष राशि (रुपये सात लाख सोलह हजार सात हंड्रेड और पचहत्तर) के रूप में भुगतान किया मुख्य आवेदक द्वारा ब्याज वापस किया जाना चाहिए प्रतिवादी आयुक्त गण द्वारा इसकी प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर।"

(5) श्री गुरप्रीत सिंह, याचिकाकर्ता के लिए वकील ने तर्क दिया कि निपटान आयोग ब्याज राशि रु 7,16,775 का धनवापसी का आदेश नहीं दे सकता था, क्योंकि ब्याज वसूली अधिनियम की धारा 11 एसी के प्रावधानों के तहत वसूली योग्य था का गुण क्योंकि राशि और ब्याज आँकलन करने वाले— प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ख़ुद भुगतान किया गया था शो कारण नोटिस जारी करने से पहले और महानिदेशक जेनरल एक्साइज इंटेलिजेंस के स्टाफ़ द्वारा पता लगाने के बाद भी। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि निपटान आयोग के पास अधिकार क्षेत्र नहीं था ब्याज हटाएं और उसके धनवापसी का आदेश दें

(6) श्री आर. कृष्ण, आँकलन करने वाले — प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील ने प्रस्तुत किया है कि निपटान आयोग पूरी तरह से सशक्त है अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए, अधिनियम की धारा 32 K के तहत जुर्माना और ब्याज का भुगतान और इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि लगाया गया आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त है । वकील के अनुसार निपटान आयुक्त को कोई विस्तृत कारण देने की आवश्यकता नहीं है जैसा की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतेंद्रसिंघजी *बनाम* एस. मैं. त्रिपाठी और अन्य (1) में तथा तर्क दिया कि न्यायालयों के लिए उन कारणों को समझना संभव नहीं है जो एक विशेष आदेश पारित करने के लिए आयोग पर प्रबल हुआ। वक़ील के अनुसार एस.आई. त्रिपाठी का मामला *(सूपर)* भी आयकर अधिनियम के तहत प्रदान किया गया था, और प्रावधान *परी मटेरिया* और इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से होगा वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली III
बनाम
एम / एस कैरियर एयरकॉन लिमिटेड और अन्य
(एम.एम. कुमार, न्यायाधीश)

(7) हमने पेपर बुक का अद्ययन किया है और पार्टियों के तर्कों की जांच की है की सामग्री और इस विचार पर पहचे है की याचिका में योग्यता का अभाव है। अधिनियम की धारा 32K (1) का संदर्भ देना लाभदायक होगा (जैसा कि यह प्रासंगिक समय पर खड़ा था), जो इसके तहत पढ़ता है :

> "धारा 32 K — अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निपटान आयोग की शक्ति — (1) निपटान आयोग अगर यह संतुष्ट हो कि कोई भी व्यक्ति जिसने आवेदन किया है धारा 32 ई के तहत निपटान के लिए सहयोग किया है और निपटान आयोग की कार्यवाही में अपने कर्तव्य दायित्व का पूर्ण और सच्चा प्रकटीकरण किया, इस तरह के व्यक्ति को, ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो इसे लागू करने के लिए उपयुक्त सोच सकता है, इस अधिनियम के तहत या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से पूरी तरह से प्रतिरक्षा देगा अधिनियम के तहत किसी भी दंड, जुर्माना और ब्याज लगाने से निपटान द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में;
>
> बशर्ते निपटान आयोग द्वारा ऐसी कोई अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी उन मामलों जिनमे अभियोजन की कार्यवाही धारा 32 ई के तहत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पहले स्थापित किया गया है। "

(8) पूर्वोक्त प्रावधानों का एक अध्ययन इसे स्पष्ट करता है कि निपटान आयोग के पास निपटान के किसी मामले के सम्बंध में पर्याप्त शक्तियाँ है आँकलन करने वाले व्यक्ति को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए और अधिनियम के तहत किसी भी दंड, जुर्माना और ब्याज को लागू से बचाने के लिए। यह इस प्रकार है कि आँकलन करने वाले-प्रतिवादी नंबर 1 को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला आदेश पूरी तरह से है अधिनियम की धारा 32-ई के तहत है और निपटान आयोग के पास शक्ति हैं ब्याज के भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करने की।

(9) निपटान आयोग के इस आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है लेकिन जांच की परिकल्पना इस तक सीमित रहेगी कि क्या आदेश अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत है या पूर्वाग्रह, धोखाधड़ी या द्वेष से ग्रस्त है। उपर्युक्त निष्कर्ष के समर्थन में, हम एस.आई. त्रिपाठी मामले के निर्णय पर निर्भरता डालना चाहेंगे। निम्नलिखित टिप्पणियों से इस न्यायालय द्वारा क्षेत्र की जांच का निर्धारण किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय जो इस प्रकार पढ़ता है-

जैसा कि यह हो सकता है, तथ्य यह है कि यह निपटान आयोग का हक़ है कि सेटल्मेंट के माध्यम से कर की राशि स्वीकार करने के लिए और उक्त राशि का किस तरीके से भुगतान किया जाएगा यह निर्धारित करने के लिए। यह आँकलन करने वाले के चूक और खामियों को माफ़ कर सकता है और ब्याज, दंड या अभियोजन को हटा सकता हैं, जहां भी उसे उचित लगता है। वास्तव में, यह मुश्किल होगा उन कारणों और विचारों की भविष्यवाणी करें जो प्रेरित करते हैं आयोग को एक विशेष आदेश देने के लिए, जब तक कि आयोग खुद अपने आदेश के लिए कारण देना नहीं चुनता है। यहां तक कि अगर यह किसी दिए गए मामले में कारण देता है, तो अपील में जांच का दायरा जैसा कि ऊपर बताया गया है, वैसा ही रहता है। चाहे वह अधिनियम के किसी भी

प्रावधान के विपरीत हो। इस संदर्भ में, यह प्रासंगिक है ध्यान दें कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत (ऑडी अलटेरम पार्टम) धारा 245 डी में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार आयोग पर एकमात्र समग्र सीमा यह प्रतीत होती है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करें।जांच का दायरा, चाहे उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत या यह न्यायालय द्वारा अनुच्छेध 136 भी वही रहता है की क्या आयोग का कोई भी आदेश अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत है या नहीं और पक्षता, धोखाधड़ी और द्वेष जैसे करणो के अलावा, जो, बेशक, एक अलग और स्वतंत्र श्रेणी का गठन किया है इसने याचिकाकर्ता / अपीलकर्ता को पूर्वाग्रहित किया है या नहीं। इस संदर्भ में न्यायालय के निर्णय आर बी श्रीराम दुर्गा प्रसाद और फतेचंद नर्सिंग दास *बनाम* निपटान आयोग [१ ९ 1989] १ 176६ आईटीआर १६ ९, जो निपटान आयोग के आदेशों के खिलाफ एक अपील ही थी, उन्मे सब्यस्की मुखर्जी न्यायाधीश ने अपने और एस.आर. पांडियन के लिए कहा की यह न्यायालय "प्रक्रिया की वैधता के साथ चिंतित है और आदेश की वैधता के साथ नहीं"। न्यायाधीश ने यह बात जोड़ी की "न्यायिक समीक्षा का संबंध निर्णय से नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ है "

(10) यह कहना इधर आवश्यक है की उपर दी गयी अवलोकन कर अधिनियम, 1961 धारा 245 के प्रवधानो से समबन्धित है जो मामलों के निपटान से संबंधित है।
अध्याय XIX A के प्रावधान मोटे तौर पर अधिनियम के अध्याय V के प्रावधानों के समान है जो वर्तमान मामले में विचाराधीन है। इसलिए, स्पष्ट हैं की **स आइ त्रिपाठी** (सुप्रा) मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होगा।

(11) जब वर्तमान मामले के तथ्यों को उपर्युक्त सिद्धांतों के प्रकाश में जांचा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। निपटान आयोग के पास पूरी तरह से ब्याज के भुगतान से प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति है बस अधिनियम के धारा 32-जे के तहत दी गयी प्रतिरक्षा को चोढ़ कर। इस न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के किसी भी पूर्वाग्रह या उल्लंघन के संबंध मे कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए रिट याचिका योग्यता से रहित है और यह नयायलय इसे खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

(12) उपरोक्त के मद्देनजर, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

आर. आन *आर*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा